कार्यालय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ (गिरिडीह)

ई–मेल : mojamua@gmail.com

पत्रांक– 25 / दिनांक– 13-03-2024 /

प्रेषक,

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ।

सेवा में,

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

विषय :– निलम्बन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि खातुन महिला SHG अनुज्ञप्ति संख्या–09/19, पंचायत फतहा को कार्यालय पत्रांक–23, दिनांक–10.03.2024 के द्वारा NFSA के अन्तर्गत माह फरवरी,2024 का वितरण 0% होने के कारण स्पष्टीकरण किया गया था। जिसका जवाब उक्त जनवितरण प्रणाल विक्रेता द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अगले दिन दिनांक–11.03.2024 को अपराहन 12:50 बजे खातुन महिला SHG अनुज्ञप्ति संख्या–09/19 का औचक निरीक्षण करने के दौरान दुकान बन्द पाया गया। ज्ञातत्व है कि जनवितरण प्रणाली दुकान को अपराहन 02:00 बजे तक खोले रह कर राशन वितरण किया जाना है। यह कृत्य जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा वितरण के संबंध में लापरवाही को दर्शाता है।

दिनांक–10.03.2024 तक 0% वितरण करने के बावजूद दिनांक–11.03.2024 को दुकान को बन्द रखे जाने से प्रतीत होता है कि खातुन महिला SHG के संचालकों द्वारा NFSA के अन्तर्गत खाद्यान्न वितरण करने में कोई रूची नहीं है। साथ ही स्पष्टीकरण का जवाब नहीं देना इनके स्वेच्छाचारिता, मनमानेपन रवैये, नियंत्री पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना आदि का द्योतक है।

अतः उक्त के आलोक एवं झारखण्ड लक्षित जनवितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2022 के निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने कारण खातुन महिला SHG अनुज्ञप्ति संख्या–09/19, पंचायत फतहा को निलम्बन करने की अनुसंशा की जाती है।

विश्वासभाजन

13/3/24

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–
प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जमुआ।

Scanned with OKEN Scanner